

'180660/2024

उत्तराखण्ड शासन  
आवास अनुभाग-2  
ई पत्रावली संख्या-63029  
देहरादून, दिनांक: 09 जनवरी, 2024।

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज लाईन परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन (1). योग नगरी, ऋषिकेश, (2). शिवपुरी, (3). ब्यासी, (4). सिराला, (5). चिलगढ़ मल्ला, (6). मलेथा, (7). श्रीनगर, (8). धारी देवी, (9). तिलानी, (10). घोलतीर, एवं (11). गौचर के परिसर की सीमा के उपरान्त 400 मी0 तक के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण/विकास गतिविधियां, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण तक प्रतिबंधित रहेंगी।

**Signed by Atar Singh**

**Date: 09-01-2024 10:54:31**

(अतर सिंह)

अपर सचिव

**प्रतिलिपि:-**

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 50 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।



(अतर सिंह)

अपर सचिव

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी/पौड़ी/रुद्रप्रयाग/चमोली।
- 5- उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी/पौड़ी/रुद्रप्रयाग/चमोली तथा उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 7- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।